

पैतृक संपत्तिको लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

प्रलिस के लयि:

पैतृक संपत्तिको लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, [मत्तकषरा कानून](#), शून्य ववाह, हदु ववाह अधनलयम, 1955, [हदु अवभाजत परवार](#), दायभाग कानून

मेन्स के लयि:

पैतृक संपत्तिको लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

[स्रोत: द हदु](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने फैसला सुनाया है क शून्य अथवा अमान्य ववाह से पैदा हुए बच्चे [मत्तकषरा कानून](#) के तहत संयुक्त हदु परवार की संपत्त में अपने माता-पता का हससा प्राप्त कर सकते हैं ।

- हालाँक इसमें इस बात पर ज़ोर दया गया क ये बच्चे परवार में कसी अन्य व्यक्त की संपत्त में अथवा उसके अधिकार के हकदार नहीं होंगे ।

नोट:

- शून्य ववाह:** यह ऐसा ववाह है जो शुरु में वैध होता है लेकन यद कोई पक्ष इसे रद करना चाहे तो इसमें व्याप्त कुछ दोष अथवा शर्तों के तहत इसे रद कर सकता/सकती है ।
- अमान्य ववाह:** यह वह ववाह है जस से शुरु से ही अमान्य माना जाता है जैसे क यह कानून की नज़र में कभी असतत्व में ही नहीं था ।

पृष्ठभूमि:

- रेवनासददप्पा बनाम मल्लकार्जुन, 2011** वाद में यह फैसला दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में दया गया था, जसमें कहा गया था क अमान्य/शून्य ववाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पता की संपत्त को प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वह संपत्त स्व-अर्जत हो अथवा पैतृक ।
 - यह मामला [हदु ववाह अधनलयम, 1955](#) की धारा 16(3) में संशोधत प्रावधान से संबंधत था ।
- इस फैसले ने ऐसे बच्चों के वरिसत/पैतृक संपत्त संबंधी अधिकारों को मान्यता देने की नींव रखी ।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- वरिसत हससेदारी का नरिधारण:**
 - शून्य अथवा अमान्य ववाह से कसी बच्चे के लयि वरिसत में हससा प्रादान करने की दशा में पहला कदम **पैतृक संपत्त में उनके माता-पता की सटीक हससेदारी का पता लगाना है ।**
 - इस नरिधारण में पैतृक संपत्त का "**काल्पनक वभाजन (Notional Partition)**" करना शामिल है ताक उस हससे की गणना की जा सके जो माता-पता को उनकी मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त हुआ होगा ।
- वरिसत का कानूनी आधार:**
 - हदु ववाह अधनलयम, 1955** की धारा 16 शून्य या अमान्य ववाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रादान करने में अहम भूमका नभाती है, यह ऐसे बच्चों की अपने माता-पता की संपत्त पर अधिकार नरिधारत करती है ।

- **समान वरिासत अधकार:**
 - हदु उत्तराधकार अधनियम, 1956 जो पैतृक संपत्तको वनियमति करता है, के तहत शून्य या अमान्य वविह से हुए बच्चों को वैध परजिन" माना जाता है ।
 - जब पारवारिके संपत्तवरिासत में मलने की बात आती है तो उन्हें नाजायज़ नहीं माना जा सकता ।
- **हदु उत्तराधकार (संशोधन) अधनियम, 2005 का प्रभाव:**
 - न्यायालय ने कहा कविर्ष 2005 में हदु उत्तराधकार (संशोधन) अधनियम के लागू होने के बाद **मताकषरा कानून** द्वारा शासति संयुक्त हदु परवार में एक मृत वयक्तका हसिसा वसीयत अथवा बनिा वसीयत के उत्तराधकार द्वारा प्रापत कथिा जा सकता है ।
 - इस संशोधन ने उत्तरजीवतिा से परे वरिासत के दायरे का वसितार कथिा और महिलाओं तथा पुरुषों को समान उत्तराधकार अधकार प्रादान कथिा ।

नोट: जून 2022 में कट्टुकंडी एडाथलि कृषण तथा अन्य बनाम कट्टुकंडी एडाथलि वालसन और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया क लिवि-इन रलेशनशिपि में पारटनर से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जा सकता है । यह एक तरह से सशरत है क संबध दीर्घकालकि होना चाहयि, न क 'आकस्मकि' प्रकृतिा का ।

बेटी की वरिासत के संबध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले:

- **अरुणाचल गौडर बनाम पोननुसामी, 2022:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना क **बनिा वसीयत के मरने वाले हदु पुरुष की स्व-अरजति संपत्त, वरिासत द्वारा हस्तांतरति होगी, न क उत्तराधकार द्वारा ।**
 - इसके अलावा न्यायालय ने कहा क ऐसी संपत्त **बेटी को वरिासत में मलिंगी**, जो क बँटवारे के माध्यम से प्रापत सहदायकि संपत्त के अलावा होगी ।
- **वनिाता शरमा बनाम राकेश शरमा, 2020**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क **एक महिला/बेटी को भी बेटे के समान संयुक्त कानूनी उत्तराधकारी** माना जाएगा और वह पैतृक संपत्त को पुरुष उत्तराधकारी के समान ही प्रापत कर सकती है, भले ही हदु उत्तराधकार (संशोधन) अधनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पहले पतिा जीवति नहीं था ।

मताकषरा कानून:

- **परचिय:**
 - मताकषरा कानून एक **कानूनी और पारंपरिक हदु कानून प्रणाली** है जो मुख्य रूप से **हदु अवभाजति परवार (HUF)** के सदस्यों के बीच वरिासत और संपत्त के अधकारों के नयिओं को नयितरति करती है ।
 - यह हदु कानून के दो प्रमुख स्कूलों में से एक है, दूसरा **दायभाग स्कूल** है ।
 - उत्तराधकार का मताकषरा कानून **पश्चमि बंगाल और असम को छोडकर** पूरे देश में लागू होता है ।

हदु वधियिों के प्रकार

मताकषरा कानून	दायभाग कानून
मताकषरा शब्द याज्जवलक्य समृतिपर वजिज्जानेश्वर द्वारा लखिी गई एक टपिपणी के नाम से लयिा गया है ।	एक पत्नी बँटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकनि उसे अपने पति और बेटों के बीच कसिी भी बँटवारे में हसिसेदारी का अधकार है ।
इसका अनुसरण भारत के सभी भागों में कथिा जाता है तथा बनारस, मथिलिा, महाराष्टर और दरवडिे स्कूलों में वभाजति है ।	इसका अनुसरण बंगाल और असम में कथिा जाता है ।
एक सहदायकि का हसिसा परभाषति नहीं है और इसका नपिटान नहीं कथिा जा सकता है ।	एक पुत्र के पास जन्म से स्वतः स्वामतिव का कोई अधकार नहीं होता है, लेकनि वह इसे अपने पतिा की मृत्यु पर प्रापत करता है ।
सभी सदस्य पतिा के जीवनकाल के दौरान सहदायकिी अधकार प्रापत करते हैं ।	पतिा के जीवति रहने पर पुत्रों को सहदायकिी अधकार प्रापत नहीं होते हैं ।
एक सहदायकि का हसिसा परभाषति नहीं है और इसका नपिटान नहीं कथिा जा सकता है ।	प्रत्येक सहदायकि का हसिसा परभाषति कथिा गया है और उसका नपिटान कथिा जा सकता है ।
एक पत्नी बँटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकनि उसे अपने पतिा और बेटों के बीच कसिी भी बँटवारे में हसिसेदारी का अधकार है ।	यहाँ महिलाओं के लयि समान अधकार मौजूद नहीं है क्योँक बँटे वभाजिन की मांग नहीं कर सकते क्योँक पतिा पूर्ण मालकि है ।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????????:

प्रश्न. प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2021)

1. मतिाक्षरा ऊँची जातकी सविलि वधिथी और दायभाग नमिन जातकी सविलि वधिथी ।
2. मतिाक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पति के जीवनकाल में ही संपत्तिपर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पति की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्तिपर अधिकार का दावा कर सकते थे ।
3. मतिाक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति-संबंधी मामलों पर वचिार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों, दोनों के संपत्ति-संबंधी मामलों पर वचिार करती है ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

वज्रानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृतिपर लिखी गई टीका मतिाक्षरा पूरे देश में (बंगाल, असम तथा उड़ीसा एवं बिहार के कुछ भागों को छोड़कर जहाँ दायभाग व्यवस्था लागू थी) संपत्ति के अधिकार के लिये कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी । मतिाक्षरा और दायभाग जातिभेद नहीं करती थी, यानी ऊँची या नीची जाति के लिये नहीं लिखी गई थी । अतः कथन 1 सही नहीं है ।

मतिाक्षरा व्यवस्था में पति के जीवित रहते पुत्र, पति की संपत्तिमें अधिकार का दावा कर सकता था जबकि दायभाग पति की मृत्यु के पश्चात् ऐसे किसी दावे पर वचिार करती थी । अतः कथन 2 सही है ।

मतिाक्षरा और दायभाग स्त्री-पुरुष दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर वचिार व्यक्त करते हैं । अतः कथन 3 सही नहीं है ।

अतः विकल्प (b) सही है ।